

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 16 सन 2021

अनवान :-

1. जगदीश दत्तक पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवंशी साकिन मेधाना तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 05/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 337/336 की कुल 7.5630हैक एवं खाता संख्या 356/356 की कुल 3.6300हैक भूमि वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु वादी निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

वादी का निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान घोतड तहसील रानिया अंकित है तो गलत है वादी अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर अंकित है।

वादी ने अपने निवास स्थान के समर्थन में मतदाता सूची, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, पेश किया जिनमें वादी का निवास स्थान मेधाना दर्ज है व अपने निवास स्थान के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत मेधाना का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया


वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये वादी अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 337/336 की कुल 7.5630हैक एवं खाता संख्या 356/356 की कुल 3.6300हैक भूमि वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु वादी निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान घोटड तहसील रानिया अंकित है तो गलत है वादी अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर अंकित है ।

वादी ने अपने निवास स्थान के समर्थन में मतदाता सूची , जाति प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , पेश किया जिनमें वादी का निवास स्थान मेधाना दर्ज है व अपने निवास स्थान के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत मेधाना का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया

वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये वादी अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 337/336 की कुल 7.5630 हैक् एवं खाता संख्या 356/356 की कुल 3.6300 हैक् भूमि वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है ।

वादी का कथन है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है ।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता सूची , परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , व सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया जिनमें वादी का निवास स्थान मेधाना दर्ज अर्थात वादी के प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी का निवास स्थान मेधाना तहसील नोहर होना प्रतीत होता है । प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतों के आधार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है निवास संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 337/336 की कुल 7.5630 हैक् एवं खाता संख्या 356/356 की कुल 3.6300 हैक् भूमि में वादी का निवास स्थान घोटड तहसील रानिया अंकित है के स्थान पर मेधाना तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/4/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/
तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

दिनांक :-

विषय :- प्रकरण संख्या 16/2021 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. जगदीश दत्तक पुत्र बनवारीलाल जाति मेधवंशी साकिन मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 16/2021 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में दिनांक 05/04/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 337/336 की कुल 7.5630 हैक् एवं खाता संख्या 356/356 की कुल 3.6300 हैक् भूमि में वादी का निवास स्थान घोटड तहसील रानिया अंकित है के स्थान पर मेधाना तहसील नोहर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)